यह निरीक्षण प्रतिवेदन **जिला परिवीक्षा अधिकारी, चमोली** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **जिला परिवीक्षा अधिकारी, चमोली** के माह 11/2015 से माह 11/2018 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री महेश चन्द्र, पर्यवेक्षक द्वारा दिनांक 04.12.2018 से 07.12.2018 तक श्री राज बहादुर, लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग–1

1. **परिचयात्मकः**– इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री नवीन चन्द्र शंखधर, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री राकेश रंजन एवं सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 04.11.2015 से 19.11.2015 तक श्री आई. के. जुयाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 07/2012 से माह 10/2015 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 11/2015 से 11/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. **(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः–** इकाई द्वारा जनपद के अन्तर्गत जनपद के अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग आदि वर्गो के उत्थान के लिए विधवा पेन्शन योजना, परित्यक्ता पेंशन योजना एवं गौरा देबी कन्याधन योजना आदि योजनाओं के माध्यम से कार्य किया जाता है।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः–

(धनराशि ₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना			गैर स्थापना		बचत/आधिक्य
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	बचत/आधिक्य	आवंटन	व्यय	
2015-16	Nil	Nil	8.56	8.32	0.24	1269.33	1262.32	6.40
2016-17	Nil	Nil	11.46	10.36	1.10	1112.01	1072.63	39.38
2017-18	Nil	Nil	7.28	6.89	0.39	924.06	923.87	0.19
2018-19	Nil	Nil	8.83	7.09	0.39	579.13	495.37	83.76

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः–

(धनराशि ₹ लाख में)

योजना का नाम	2017–18			2018–19		
	प्रा.अवशेष	प्राप्ति	व्यय	प्रा.अवशेष	प्राप्ति	व्यय
विधवा पेंशन योजना केन्द्रांश	Nil	35.77	35.75	Nil	15.43	15.09

(iii) इकाई को बजट आबंटन **निदेशक, समाज कल्याण** द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुए इकाइ ...**स**....श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढ़ांचा निम्नवत हैः– सचिव, समाज कल्याण ⟶ निदेशक, समाज कल्याण ⟶ जिला परिवीक्षा अधिकारी

(iv)**लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः–** लेखापरीक्षा में **जिला परिवीक्षा अधिकारी, चमोली** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक–पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **जिला परिवीक्षा अधिकारी, चमोली** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह **03/2016 एवं 03/2017** को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। निराश्रित विधवा पेंशन योजना, परित्यक्ता पेंशन एवं गौरा देबी कन्याधन योजना आदि का विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन योजनान्तर्गत किये गये व्यय के आधार पर किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाए गए नियंत्रक महालेखा परीक्षक के (कर्तव्य,शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 (डी. पी. सी. एक्ट 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षक विनियम 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार संपादित की गयी।

भाग दो (ब)

प्रस्तर– 1 बिना बी0पी0एल0 आई.डी. के स्वीकृत लाभार्थी के सापेक्ष भारत सरकार से प्रतिपूर्ति प्राप्त कर रु0 124.36 लाख की धनराशि का अनियमित भुगतान किया जाना।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित निराश्रित विधवा पेंशन भारत सरकार द्वारा 40 वर्ष से 79 आयु तक के बी0 पी0 एल0 परिवार के विधवाओं को रु0 300 प्रतिमाह तथा 80 वर्ष से अधिक आयु के विधवाओं को रु0 500 प्रतिमाह की दर से पेंशन प्रदान की जाती है। उपरोक्त आयुवर्ग के लाभार्थियों को प्रतिमाह पेंशन की कुल राशि रु0 1000 प्रतिमाह में से राज्य सरकार द्वारा क्रमशः रु0 700 एवं रु0 500 की दर से पेंशन प्रदान की जाती है।

कार्यालय जिला परिवीक्षा अधिकारी, चमोली के निराश्रित विधवा पेंशन के लाभार्थियों का विवरण एवं उपलब्ध करायी गयी सूचना की **जाँच** में पाया गया कि जनपद के कुल 7752 लाभार्थियों के सापेक्ष 1064 लाभार्थियों का पेंशन बी0 पी0 एल0 आई डी के आधार पर स्वीकृत मानते हुए भारत सरकार से क्रमशः रु0 300 एवं रु0 500 की दर से सहायता प्राप्त की जाती है। आगे **जाँच** में पाया गया कि केन्द्रीय सहायता प्राप्त कर रहे कुल 1064 लाभार्थियों में से वास्तव में केवल 77 *(07 प्रतिशत)* लाभार्थियों का पेंशन ही बी0 पी0 एल0 आई डी के आधार पर स्वीकृत था जिनके सापेक्ष आनलाईन पेंशन विवरण डाटाबेस में बी0 पी0 एल0 आई डी क्रमांक अंकित है। विवरण निम्नवत् है;

जनपद स्तर	**कुल लाभार्थी सं0**	**केन्द्रीय सहायता प्राप्त लाभार्थी सं0**	**जिनके सापेक्ष BPL क्रमांक अंकित है**	**जिनके सापेक्ष BPL क्रमांक अंकित नहीं है**
जनपद (ग्रामीण)	7153	1031	70	961
जनपद (शहरी)	599	33	07	26
कुल योग	**7752**	**1064**	**77**	**987**

उपरोक्त विवरणानुसार जनपद के 987 लाभार्थी राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए अपात्र होते हुए भी इन लाभार्थियों के लिए इकाई द्वारा लगातार भारत सरकार से अनियमित रुप से धनराशि प्राप्त की जा रही थी। उपरोक्त अपात्र लाभार्थी के सापेक्ष लेखापरीक्षा अवधि वर्ष 2015–16 से वर्तमान तक (09/2018) की अवधि में 42 माहों के लिए कुल धनराशि रु0 124.36 लाख भारत सरकार से केन्द्रीय सहायता के रुप में धनराशि प्राप्त कर इन लाभार्थियों अनियमित भुगतान की गयी थी। इसके अतिरिक्त जॉच में यह भी पाया गया कि योजनान्तर्गत अनुमन्य 40 वर्ष से कम उम्र की 15

विधवाओं को भी केन्द्रीय योजना में सम्मिलित किया गया था जबकि दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार इन विधवाओं को केन्द्रीय योजना में लाभ प्रदान किया जाना अनुमन्य नहीं था।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर इकाई ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकारते हुए अपने उत्तर में अवगत कराया कि वर्ष 2011–12 से पूर्व लाभार्थियों का डाटा आनलाईन पोर्टल में पोर्ट किये जाने में कठिनाई उत्पन्न हो रही थी जिस कारण समस्त लाभार्थियों के बी0पी0एल0 आई.डी. क्रमांक अंकित नहीं हो पायी है। यह भी अवगत कराया कि बी0पी0एल0 आई.डी. पोर्टल में अंकित किये जाने की कार्यवाही की जाएगी। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि वर्ष 2011–12 से वर्तमान तक छः वर्ष से भी अधिक समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इन लाभार्थियों के बी0पी0एल0 आई.डी. क्रमांक कार्यालय द्वारा अंकित नहीं किया जा सका है। अतः बिना बी0पी0एल0 आई.डी. के स्वीकृत लाभार्थी के सापेक्ष भारत सरकार से प्रतिपूर्ति प्राप्त कर रु0 124.36 लाख की धनराशि का अनियमित भुगतान किये जाने सम्बन्धी प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो ब

प्रस्तर : 2– कोषागार से आहरित धनराशि रू 399.00 लाख का रोकडब़ही में इन्द्राज न करना।

प्रमुख सचिव के पत्रांक सख्यॉ 3/XVII-(6) 2013 दिनॉक 02 जनवरी 2013 के बिन्दु 4.9 के अनुसार यह प्रावधान है कि आहरण एवं संवितरण अधिकारी इन्टरनेट की सहायता से अपने देयकों की धनराशि सम्बन्धित अभिलेखो के बैक खाते में अन्तरण हो जाने के विवरण का प्रिन्ट प्राप्त करेगें तथा सम्बन्धी अभिलेख–यथा 11सी पंजिका **कैशबुक** बिल रजिस्टर आदि में इनके प्राप्त होंने की प्रविष्टि यथा स्थान पर करेगें।

कार्यालय जिला प्रोबेशन अधिकारी चमोली के चयनित माह 03/2016 एवं 03/2017 के रोकडब़ही की विस्तृत **जाँच** में पाया गया कि उक्त माहो में क्रमश रू 84.40 एव रू 314.60 कुल रू 399.00 लाख की योजनाओं में भुगतान कोषागार द्वारा ई – पेमेन्ट के माध्यम से की गयी परन्तु सम्बन्धित धनराशि के लेन देनों का इन्द्राज रोकडवही में नही किये गये है। जबकि प्रमुख सचिव के पत्रांक में स्पष्ट प्रवधान था कि समस्त ऐसे समस्त प्रविष्टि को रोकडब़ही में इन्द्राज किया जाये।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर इकाई ने कहा कि भविष्य में कोषागार से आहरित लेन–देन का इन्द्राज रोकडब़ही में कर लिया जायेगा तथा लेखापरीक्षा में अवलोकनार्थ प्रस्तुत कर लिया जायेगा। उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नही है क्योकि प्रमुख सचिव के पत्रांक में स्पष्ट प्रवधान था कि आहरण एवं संवितरण अधिकारी इन्टरनेट की सहायता से अपने देयकों की धनराशि सम्बन्धित अभिलेखो के बैक खाते में अन्तरण हो जाने के विवरण का प्रिन्ट प्राप्त करेगें तथा सम्बन्धी अभिलेख –यथा 11सी पंजिका **कैशबुक** इनके प्राप्त होने की प्रविष्टि यथा स्थान पर करेगें जिसका नही किया गया। जिसका अनुपालन विभाग द्वारा नही किया गया।

अतः कोषागार से आहरित धनराशि रू 399.00 लाख का रोकडब़ही में इन्द्राज न करने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो ब

प्रस्तर :3– शासनादेश के अनुसार समयान्र्तगत गौरा देवी कन्याधन योजना के पात्र 410 लाभार्थियों को रू 205 लाख का भुगतान न किया जाना।

शासनादेश सख्यॉ 749/XVII-4/2016-01(135)2013- टी.सी –1 (05/16) मई 2016 के गौरा देवी कन्याधन योजनान्तर्गत अनुसूचित जातियों एवं सामान्य वर्ग के उन परिवारों को लाभ दिया जायेगा जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहें हो अथवा जिनकी वार्षिक आय रू 15976/(ग्रामीण क्षेत्रों) एवं 21206/(शहरी क्षेत्रा) से अधिक न हो। योजना के अन्तर्गत चयनित प्रति छात्रा को रू 50000 की धनराशि कन्याधन के रूप में स्वीकृत की जायेगी। **शासनादेश के प्रावधानों के अनुसार इण्टरमीडिएट परीक्षाफल घोषित होने के 15 दिनों के भीतर अर्थात अधिकतम जुलाई माह तक सम्बन्धित कार्यालय द्वारा एफ डी आर बनाये जाने हेतु छात्राओं के खातें में ऑनलाईन धनराशि स्थान्तरित कर दी जायेगी।**

कार्यालय जिला प्रोबेशन अधिकारी चमोली के सामान्य जाति गौरा देवी कन्याधन योजना के वर्ष 2017–18 के लेखाभिलेखों की **जॉच** में पाया गया कि वर्ष 2016–17 में लाभार्थियों को योजना के लाभ हेतु 1184 लाभार्थियों का चयनित किया गया था। जिसमें वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 क्रमश 601 एवं 173 कुल 774 को लाभाथिर्यो को योजना से लाभान्वित करते हुए रू 387.00 लाख की धनराशि का फडी के रूप में वितरण की गयी। अवशेष 410 पात्र लाभार्थियों को रू 50000/–की दर से सम्प्रेक्षा अवधि (11/2018) तक रू 205 लाख भुगतान किया जाना शेष है। **जबकि शासनादेशानुसार योजना का लाभ इण्टरमीडिएट परीक्षाफल घोषित होने के 15 दिनों के भीतर अर्थात अधिकतम जुलाई माह तक दिया जाना चाहिए था।** जबकि चयनित लाभार्थियों के परीक्षाफल घोषित होने के (जून 2017) **अर्थात** 16 माह के पश्चात सम्प्रेक्षा अवधि (11/2018) तक के पश्चात 410 लाभार्थी योजना के लाभ पाने से वंचित रहे। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर इकाई ने उत्तर में कहा कि अवशेष 410 छात्राओं को गोरा देवी कन्याधन योजना के अर्न्तगत लाभान्वित किये जाने हेतु **मॉग** निदेशालय समाज कल्याण से की गयी है धनावंटन प्राप्त होने के उपरान्त 410 छात्राओं को योजना के अन्तर्गत लाभान्वित कर लिया जायेगा।

उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नही है क्याकि योजना का लाभ गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहें हो अथवा जिनकी वार्षिक आय रू 15976/(ग्रामीण क्षेत्रों) एवं 21206/– (शहरी क्षेत्रों) से अधिक न हो को दिया जाना का प्रावधान है। शासनादेश के प्रावधानों के अनुसार इण्टरमीडिएट परीक्षाफल घोषित होने के

15 दिनों के भीतर अर्थात अधिकतम जुलाई माह तक सम्बन्धित कार्यालय द्वारा एफ डी आर बनाये जाने हेतु छात्राओं के खातें में ऑनलाईन धनराशि **स्थानन्तरित** करना सुनिश्चित किया जाना **चाहिए** था। जबकि चयनित लाभार्थियों के परीक्षाफल घोषित होने के (जून 2017) अथार्त 16 माह के पश्चात सम्प्रेक्षा (11/2018) अवधि तक विभाग द्वारा अनुपालन नही किया गया है। ऐसा न करने से **लाभार्थी** योजना लाभ पाने सें वचित रहे।

अतः शाासनादेश के अनुसार निधारित समयार्न्तगत गौरा देवी कन्याधन योजना के अन्तर्गत पात्र 410 लाभार्थियों को रू 205 लाख का भुगतान न किया जाना का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–3

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण निम्नवत् है

प्रति.संख्या	वर्ष	भाग–दो अ प्रस्तर सं0	भाग–दो ब प्रस्तर सं0	**STAN** प्रस्तर सं0
	लम्बित प्रस्तर – शून्य			

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः–

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अलुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
लम्बित प्रस्तर – शून्य				

भाग–4

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग–5

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधित सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय **जिला परिवीक्षा अधिकारी, चमोली** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः–

(अ) **शून्य**

2. सतत अनियमितताएंः–

(अ) **शून्य**

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम संख्या	नाम	पदनाम
1	श्री सुरेन्द्र लाल	जिला परिवीक्षा अधिकारी
2	श्री सुरेन्द्र लाल II	जिला परिवीक्षा अधिकारी

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **जिला परिवीक्षा अधिकारी, चमोली** को इस आशय से प्रेषित कर दी जाएगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उपमहालेखाकार/सामाजिक क्षेत्र कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित कर दी **जाये**।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.